

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत — उपखण्ड अधिकारी मुकाम — जहाजपुर (भीलवाडा)

कल्याण पिता भेरु मीणा नि. बाग का झुपड़ा बेई
बनाम

छगना पिता भेरु मीणा नि. बाग का झुपड़ा बेई वगैरह

मुकदमा प्रा० पत्र 111, 128 एल. आर. ए.

मुकदमा नं. 779/23

हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स अज	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुये
-------	------------------------------------	---


7.23

प्रार्थना पत्र सिंगे से बाद जॉच रिपोर्ट पेश हुआ। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने जरिये अभिभाषक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते की भूमि ग्राम माना का बरडा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 243/1 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, आ. न. 243/10 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 243/7 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 03 रकबा 0.7851 स्थित है। अप्रार्थीगण उक्त वर्णित कृषि आराजी के पडौसी है। अप्रार्थीगण से सीमा विवाद होने के कारण पत्थरगढी करवाये जाने की आवश्यकता है, अतः उक्त आराजी की पत्थरगढी के आदेश प्रदान किये जावे। प्रार्थना पत्र की ताईद में प्रार्थी का शपथ पत्र संलग्न है।

मैने पत्रावली का अवलोकन कियां सुयोग्य अभिभाषक/प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली के साथ संलग्न नकल जमाबन्दी सम्बत 2076 से 2079 तक के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी पत्थरगढी हेतु आवेदन की गई भूमि का खातेदार है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थीगण के साथ सीमा विवाद होना बताया है, अतः न्यायालय पत्थरगढी किया जाना उचित समझता है।

अतः प्रार्थना पत्र 111/128 रा.ले. रे. एक्ट स्वीकार किया जाता है ग्राम माना का बरडा प. ह. बेई तहसील जहाजपुर में स्थित आ. न. 243/1 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, आ. न. 243/10 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 243/7 रकबा 0.1700 हेक्टेयर, कुल किता 03 रकबा 0.7851 स्थित भूमि की उभय पक्षों की उपस्थिति में पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख शक्करगढ को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं। जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रु. राजकोष में जमा करावे। पत्थरगढी के दौरान किसी भी पक्ष के कब्जे को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे। पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रस्तुत करे।

आदेश आज दिनांक 5.07.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी,
जहाजपुर(भीलवाडा)

उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाड़ा)

उपरोक्त विषयों के प्रकरण में ग्राम माना का बरजा प. ह. बड़े तहसील जहाजपुर स्थित आ. न. 243/1 रकबा 0.5342 हेक्टेयर, आ. न. 243/10 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, आ. न. 243/17 रकबा 100 हेक्टेयर, कुल कितना 03 रकबा 0.7851 स्थित भूमि की उपस्थिति में पर्यराही करने हेतु भी लेख शककराठ की कमीशनर नियुक्ति किया जाता है। कमीशनर फीस 500 रु. तय किये जाते हैं जो 1 माह के अदा करेगा, उनमें से 100 रुपये राजकोष में जमा करावे। पर्यराही के दौरान किसी भी पक्ष को प्रभावित नहीं किया जावे। पालना रिपोर्ट 15 योम में पेश करे।

विषय :- प. स. 779/2023 अनुदान कल्याण पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, छाटे पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, सत्यनारायण पिना जाला भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, मान सिंह पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, कार्तिक पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, अमरसिंह पिना जमना लाल भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, बजरंग नि. बाग का कृषि बड़े, जमना लाल भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, शंभू लाल पिना जमना लाल भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, सुलतान पिना जमना लाल भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, आर्जुन नि. बाग का कृषि बड़े, मथरा पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, पिना भूक भीगा नि. बाग का कृषि बड़े, तहसीलदार वीरा की पर्यराही की पालना करने बाबत।

तहसीलदार जहाजपुर

नि

क/रीडर/2023/779/2023

दिनांक :- 5.07.2023

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाड़ा